



## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

(लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन)

पुनरीक्षित नियम पुस्तिका

संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)के चयन के लिए  
(ऑनलाइन लिखित टेस्ट द्वारा)

वर्ष (2020-2021)

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

एनएचएम, म.प्र., संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के लगभग 2551 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31, मार्च 2022 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा :

### १. संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) पद का विवरण:

क	पद का नाम	पद का कोड	कुल सीटें	अनारक्षित (27%)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)	अनुसूचित जनजाति (20%)	अनुसूचित जाती (16%)	ओबीसी- (27%)*	निःशक्त जनो के लिए (6%)			
									वी एच एच	एच एच	ओ एच	एम डी
१.	संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)	एएनएम-एनएचएम-एमपी	2551	689	255	510	408	689	0	0	153	0

\*ओबीसी आरक्षण (%) का मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में विचाराधीन है और निर्णय ओबीसी और अनारक्षित श्रेणियों के आरक्षण प्रतिशत को तदनुसार प्रभावित कर सकता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27 प्रतिशत पदों में से माननीय न्यायालयीन प्रकरण व अतिरिक्त महाधिवक्ता के अभिमत के अनुसार 13 प्रतिशत पद सुरक्षित रखे गए हैं।

संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के 332 पद जो न्यायालयीन निर्णय के उपरांत उस वर्ग के भर्ती प्रक्रिया में उपरोक्त विज्ञापन के पात्र उम्मीदवारों से पूर्ति की जाएगी।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा की तारीख और ऑनलाइन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करके <http://www.nhmmp.gov.in/> या [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) पर जाएं।

आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत 01 जून 2021 को पूर्वाह्न १२:०१ बजे से होगी।  
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून 2021 को रात ११:५९ बजे है।

### २. शैक्षिक और अन्य पात्रताएँ:

२.१ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण/ हायर सेकेण्डरी, ११वीं कक्षा उत्तीर्ण/हायर सेकेण्डरी

(१०+२) शिक्षा पद्धति में १२वीं कक्षा उत्तीर्ण

२.२ शासकीय/अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों से ए.एन.एम. का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण (न्यूनतम)

२.३ बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है

आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा:

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची
- संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) हेतु शासकीय/ अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों से ए.एन.एम. का निर्धारित अवधि के प्रशिक्षण का उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र

३. \*आयु सीमा: २१-४० वर्ष

\* आयु गणना की संदर्भ तिथि: ०१.०१.२०२१

अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक C 3-8/ 2016/ 1/ 3 दिनांक जुलाई 04, 2019 द्वारा एवं समय-समय पर जारी संसोधन लागू समझे जायेंगे।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम ५ वर्ष की छूट दी जाएगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला, और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए ४५ वर्ष की होगी, यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी हैं।

**स्पष्टीकरण:** आयु की गणना के लिए १०वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/ मार्क शीट एक वैध/ संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**४. वेतन:**

४.१ चयन के बाद, उम्मीदवार को संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रति माह /-१२,००० रुपये वेतन दिया जाएगा।

**५. आरक्षण नियम:**

५.१ मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति

(एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईडब्ल्यूएस, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी;

**५.२ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे;**

**५.३** चयन प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवार को परीक्षा / चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा या किसी भी उम्मीदवार के लिए या अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य माध्यम से चयन में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है;

**५.४** उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य घोषित की जाएगी;

**५.५** उम्मीदवारों को परीक्षा से अयोग्य / निष्कासित कर दिया जाएगा, यदि वे परीक्षा में दुरुव्यवहार करते हैं और परीक्षा के दौरान शांति में बाधा खड़ी करने में शामिल होते हैं;

**५.६** यदि उम्मीदवार फर्जी दस्तावेज प्रदान करते हैं या उनके दस्तावेज बदले/रूपांतरित/जाली हैं, या उन्होंने कोई ठोस जानकारी छिपाई है, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा;

**५.७** यदि उम्मीदवार परीक्षा के लिए किसी अभिप्रेरक का उपयोग करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा;

**५.८** कोई भी उम्मीदवार जिसके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला किया गया है या अदालत द्वारा दंडित किया गया है, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा (पात्र नहीं होगा)।

**६. चयन प्रक्रिया:** परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यावहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए;

**६.१ संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के चयन के लिए, स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस) द्वारा एमसीक्यू (MCQ) आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा (ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।**

**६.२** उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पदों के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी, प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य हो जाएगी;

- ६.३ उम्मीदवारों को की मध्यरात्रि 22 जून 2021 ११:५९ बजे तक या उससे पहले स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस) के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा;
- ६.४ उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है;
- ६.५ विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस) के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी;
- ६.६ परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ १०० एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न १ अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंकों को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा;
- ६.७ ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे 40-% For UR, 35% For OBC, and 30% For SC and ST मेरिट रैंक का परिमाण और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा;
- ६.८ उपरोक्त मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में, मिशन निदेशक, एनएचएम, म.प्र. आवश्यक के रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी
- (i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी;
- (ii) एक ही जन्मतिथि/ उम्र के अभ्यर्थी होने पर, अनिवार्य संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के पद हेतु ए.एन.एम. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता;
- ६.९ आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [\* (आस्ट्रिक) से चिह्नित ] प्रदान करना आवश्यक है;
- ६.१० आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेटस "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया" है; आधे भरे हुए आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा;
- ६.११ एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाये बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और

उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए २-४ दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिए जाएंगे। जाँच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है;

६.१२ उम्मीदवार अधिकतम १० स्थानों के लिए अपनी स्थान वरीयता दे सकते हैं जो बाद के चरणों में लिया जाएगा। पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।

६.१३ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:

(क) अंधापन और कम दृष्टि

(ख) बहरा और सुनने में कठिनाई

(ग) दिमागी लकवा, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और पेशी अपविकास सहित अस्थिविषयक दिव्यांगता

(घ) स्वलीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, और मानसिक बीमारी।

(ङ) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

(च) दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधिकतम 50 प्रतिशत को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधिता विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सिमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य;

६.१४ आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा;

६.१५ सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्म तिथि, श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा;

६.१६ उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिए केंद्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केंद्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:

(क) केंद्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केंद्र प्राथमिकताएं;

(ख) प्राथमिकताएं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद, इसे पहला आवेदन पहला आवंटन (एफएएफए) के आधार पर किया जाएगा।

६.१७ ई-एडमिट कार्ड को एसएमएस एवं एनएचएम, म. प्र. की आधिकारिक वेबसाइट

[www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) और <http://www.nhmmp.gov.in/> पर से परीक्षा तिथि के सात (७) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ एसएमएस एवं एनएचएम, म. प्र. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी;

६.१८ कोविड-19 के अन्तर्गत अस्थायी एवं आकस्मिक रूप से कार्य करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसने न्यूनतम अवधि 89 दिवस कार्य किया हो उसे संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की भर्ती प्रक्रिया में 10 प्रतिशत अधिभार अंक (Weightage) प्राप्त करने की पात्रता होगी।

## ७. स्थान आवंटन:

७.१ मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा;

७.२ ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि “मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि उपरोक्त, स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगा जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर, एनएचएम, म.प्र. के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार एनएचएम, म.प्र. द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।

## ८. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:

(क) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों में संबंधित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जाएगा।

(ख) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण, आदि) भरते समय पूछे गए थे;

(ग) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं हैं, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।

(ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

## ९. अन्य निर्देश और दिशानिर्देश:

९.१ चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

(क) १०वीं या माध्यमिक / उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुए पाठ्यक्रम की वार्षिक / सेमेस्टर वार मार्क शीट;

(ख) नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो तस्वीरें;

(ग) मध्य प्रदेश के उप मंडल अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र;

(घ) स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र;

- (इ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से १५ दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए;
- (च) **संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)** के चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि;
- (छ) उपरोक्त प्रमाणपत्र / दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ज) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/ आंतरिक संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)** के लिए लागू होंगे;
- (झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र कार्यग्रहण के समय पर लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाणपत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ञ) **सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केंद्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा**

१०. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद, और **संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)** के रूप में नियुक्ति के बाद, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

११. **चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:**

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** चयन के किसी भी समय नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा।

**मिशन** आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है।

**मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश** को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/ सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/ निरस्त करने का अधिकार होगा।

१२. **परीक्षा केंद्र/ शहर:** (१) भोपाल; (२) इंदौर (३) ग्वालियर (४) जबलपुर (५) रीवा (६) उज्जैन

१३. **परिभाषाएँ:**

१३.१ "चयन परीक्षा" का अर्थ **संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.)** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है;

१३.२ **आरक्षित श्रेणी का अर्थ:** - पांच श्रेणियों से उम्मीदवार, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी); या **मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अनुसार।**



कार्य दायित्व

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जांच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी. तथा अन्य आवश्यक जांच करना)।
- एम.सी.पी. कार्ड में प्रविष्टि करना तथा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के संबंध में आवश्यक जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, काल सेंटर आदि की जानकारी प्रदान करना।
- आर.सी.एच. पोर्टल में पंजीयन एवं अद्यतन फार्म में गर्भवती महिलाओं के विषय में आवश्यक जानकारी भरकर ए.वी.डी. के माध्यम से कोल्ड चैन फोकल पाईट पर उपलब्ध कराना।
- उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर संधारित पंजी को अद्यतन करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, खून आना, उल्टा/आड़ा/जुड़वा गर्भ आदि पाये जाने पर तुरंत क्रियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के ऊपर) आई.एफ.ए. की बड़ी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बड़ी गोली के सेवन हेतु सलाह देना।
- सुदूर गांव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व क्रियाशील सीमांक में भर्ती करना जिससे समय पर उचित प्रबंधन किया जा सके।
- गर्भवती महिला की तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जांच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनेमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेकिंग सुनिश्चित करना।
- सभी शिशुओं एवं बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज नवजात शिशुओं के सामुदायिक फॉलोअप (पहले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन, चौदहवें दिन, इक्कीसवें दिन, अठ्ठाईसवें दिन) हेतु आशा को प्रेरित करना एवं मॉनिटरिंग करना।
- दस्त रोग में ओ.आर.एस. एवं जिंक को बढ़ावा देना।
- गंभीर नवजात शिशुओं को एस.एन.सी.यू. में जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- समुदाय स्तर से होने वाली शिशु/मातृ मृत्यु को तत्काल जिला स्तर पर रिपोर्ट करना।
- प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण एवं जन्म उपरांत बच्चे की आर.सी.एच. पोर्टल के माध्यम से ट्रेकिंग करना।
- गर्भावस्था के दौरान माँ को उचित पोषण की सलाह देना एवं एफ.आई.एफ.ए. गोलियों का सेवन सुनिश्चित करना।
- समस्त धात्री माताओं को 6 माह तक अनन्य स्तनपान कराने की सलाह देना।
- राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी अनुसार समस्त बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- ग्राम के समस्त अति कम वजन एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की नामबद्ध सूची आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा से प्राप्त कर रिकार्ड संधारित करना।
- सूचीबद्ध बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान विशेष ध्यान देना।
- ऐसे बच्चों में कान बहना, गले में खराश, सर्दी-जुखाम, बुखार, चर्म रोग जैसे- फोड़े-फुन्सी आदि की शिकायत प्रायः पायी जाती है, जिसका तुरंत यथोचित उपचार सुनिश्चित करना, ताकि यह बच्चे कुपोषण-बीमारी-कुपोषण कि कु-चक्र से बाहर आ सके।
- बाल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त 6-60 माह के बच्चों को वर्ष में एक बार आई.एफ.ए. सीरप की 100 एम.एल. की एक बोतल कृमिनाशन हेतु एल्बेंडाजोल सीरप प्रदायित करना।
- गंभीर एनीमिया से ग्रस्त बच्चे को उचित उपचार/रक्ताधान हेतु रेफर करना।
- बाल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु आवश्यक आई.एफ.ए. सीरप की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बाल सुरक्षा माह के दौरान वर्ष में दो बार समस्त 9 माह से 5 वर्षीय बच्चों को विटामिन ए का अनुपूरण करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किशोरी बालिकाओं को दी जाने वाली आरयन की बड़ी गोलर तथा एल्बेंडाजोल की गोली आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नियमित रूप से उपलब्ध करायेगी तथा आवश्यक होने पर किशोरी बालिकाओं की हिमोग्लोबिन परीक्षण कर गंभीर खून की कमी होने (8 ग्राम से कम-National Iron+Initiative) पर स्वास्थ्य संस्था को रेफर करेगी। रिपोर्ट संकलित कर खण्ड चिकित्सा अधिकारी

- को मासिक रूप से जमा करायेगी। 10 एवं 16 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को टिटनेस टॉक्सॉइड के टीके लगायेंगी।
- सबसेन्टर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों और मजरे की सूची तैयार करें।
  - वास्तविक जनसंख्या, लाभार्थियों की पहचान एवं वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य निर्धारण हेतु **CAN** सर्वे माह अप्रैल में कर प्रतिमाह नए जन्में शिशु एवं गर्भवती महिला की नामावली, एम.सी.टी.एस. फार्म में अंकित कर अपडेट करना।
  - लाभार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मासिक टीकों एवं विटामिन ए की गणना करना।
  - गांवो एवं मंजरे में सत्रों का आयोजन इन्जेक्शन लोड अनुसार निर्धारण यथा 25–50 इंजेक्शन 1 सत्र प्रतिमाह, 50 से अधिक इंजेक्शन माह में दो बार सत्र लगायें एवं 25 इंजेक्शन से कम 1 सत्र प्रति 2 माह में तथा दुर्गम क्षेत्रों में वर्ष में न्यूनतम 4 सत्र लगायें।
  - वैक्सीन वाहन हेतु रूट चार्ट दूरी समय एवं कार्यदिवस बनाकर देना।
  - आई.यू.सी.डी. निवेशन में दक्ष ए.एन.एम. सप्ताह में दो दिवस आई.यू.सी.डी. निवेशन हेतु निर्धारित करेंगी जो मंगलवार और शुक्रवार होंगे।
  - आरोग्य केन्द्र पर प्रत्येक गर्भवती माता को उनकी सेवा आवश्यकता के अनुसार प्रसव तुरंत पश्चात् (पी.पी. आई.यू.सी.डी.) लगवाने हेतु प्रेरित करेंगे।
  - स्थायी और अस्थायी साधन के सेवा आवश्यकता की पूर्ति में आशा कार्यकर्ता सहयोग एवं समन्वय करेंगे।
  - प्रेग्नेंसी टेस्ट किट आशा को उनके लक्ष्य दंपत्ति अनुसार एवं कार्य की प्रगति के अनुसार प्रदाय करना एवं उसके उपयोग के बारे में बताना।
  - प्रेग्नेंसी टेस्ट किट से संबंधित जानकारी भारत सरकार द्वारा चाहे गये निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह सुपरवाईजर एवं सेक्टर मेडिकल ऑफिसर को प्रस्तुत करना।
  - भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र में पेरिटीवाइज़ (जीवित बच्चों की संख्या अनुसार) स्थायी प्रेरित की जानकारी तैयार करने हेतु आशा के साथ समन्वय।
  - उपस्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर सेवा प्रदान करने के समय ए.एन.एम. एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को चलित अस्पताल के स्टॉफ के साथ समन्वय स्थापित कर सेवा प्रदाय की जाना होगी।
  - सेवा प्रदायगी पंजी में ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू के हस्ताक्षर भी कराना होंगे।
  - ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन प्रदाय सेवाओं का प्रमाणीकरण ए.एन.एम. के द्वारा कराया जाना चाहिये।
  - प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन ए.एन.एम. द्वारा प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में प्रदाय की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को निर्धारित पंजी में दर्ज करना।
  - उप स्वास्थ्य केन्द्र में प्रदाय की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी को स्वास्थ्य केन्द्र की संबंधित पंजी में दर्ज करना।
  - जिले द्वारा एचएमआईएस रिपोर्ट हेतु निर्धारित तिथि में उसके द्वारा संपादित किये गये कार्यों को निर्धारित उप स्वास्थ्य केन्द्र एचएमआईएस फार्मेट में भरना।
  - भरे हुये एचएमआईएस फार्मेट को सेक्टर सुपरवाईजर को सौंपना।
  - **Quality Assurance** के द्वारा जारी की गयी दिशा-निर्देशों का पालन (**Standard Operating Procedure**) एवं यह सुनिश्चित करना कि सभी कार्यविधि दिशा-निर्देशों के अंतर्गत की जा रही हो।
  - लाभार्थियों की सूची की संपूर्णता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
  - **VHND Session** के दिन सभी सामग्री की उपलब्धता **Check List** के अनुसार हो यह सुनिश्चित करना।
  - **VHND Session** के दौरान एवं उसके पश्चात् **Bio Medical waste** एवं **Infection Control** में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना।
  - कार्य समाप्ति के बाद रिपोर्टिंग की संपूर्णता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

### डिलेवरी पाईट्स (लेवल 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र) पर कार्यरत

लेवल 1 उपस्वास्थ्य केन्द्र पर एस.बी.ए. प्रशिक्षित 2 ए.एन.एम. पदस्थ होती है। एक उप स्वास्थ्य केन्द्र में अनुमानतः 8–10 गांव होते हैं। एक ए.एन.एम. (ए) को एक माह में उपस्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव संपादित करने है तथा दूसरी ए.एन.एम. (बी) आउटरीच सर्विसेज प्रदान करेंगी। अगले माह में दूसरी ए.एन.एम. (बी) की ड्यूटी उप स्वास्थ्य केन्द्र पर तथा पहली ए.एन.एम. (ए) आउटरीच सर्विसेज प्रदान करेंगी।

क्र	ग्राम स्वा एवं पोषण दिवस	ग्राम भ्रमण दिवस
1		प्रत्येक सोमवार
2	प्रथम मंगलवार	तृतीय बुधवार
3	प्रथम शुक्रवार	तृतीय गुरुवार
4	द्वितीय मंगलवार	चतुर्थ बुधवार
5	द्वितीय शुक्रवार	चतुर्थ गुरुवार
6	तृतीय मंगलवार	प्रथम बुधवार
7	तृतीय शुक्रवार	प्रथम गुरुवार
8	चतुर्थ मंगलवार	द्वितीय बुधवार
9	चतुर्थ शुक्रवार	द्वितीय गुरुवार

- न्यूनतम 3 प्रसव प्रतिमाह
- प्रोटोकॉल के अनुसार प्रसव संपादित करना।
- गर्भवती महिला की सम्पूर्ण (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी. तथा पेट की अन्य जांच) करना तथा आवश्यक प्रविष्टि एम.सी.पी. कार्ड में करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, खून आना, उल्टा/ आडा/ जुडवा गर्भ आदि पाये जाने पर तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में क्रियाशील स्वास्थ्य संसिी पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- गर्भवती महिला का तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जांच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेकिंग सुनिश्चित करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की एक बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवन हेतु सलाह देना। गंभीर रक्ताल्पता से पिडित महिलाओं की ब्लड ट्रांसफ्यूजन / इंजेक्शन/आयरन सुक्रोज के माध्यम से प्रबंधन करने हेतु क्रियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना तथा इस हेतु पृथक से रिकार्ड संधारित किया जाए।
- निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फीटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेस तथा आब्स्टेट्रिक लेबर का प्रबंधन तथा रेफर किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जाए जिससे महिला एवं नवजात शिशु से सेप्सिस के कारण होने वाले कॉम्प्लीकेशन के प्रकरणों में कमी लाई जा सके।
- रेफर हेतु निर्धारित स्लिप का उपयोग किया जाए एवं उचित फर्स्ट एड जैसे- आई.बो.लाईन, ऑकसीटोसिन इंजेक्शन, मैगसल्फ इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफर की जाने वाली संस्था में कॉल सेंटर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- आवश्यक औषधियाँ, सामग्री ,उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एम.एन.एच. टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।
- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवाएँ प्रदान करना।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1,3,7, 42 दिवस पर ए.एन.एम. तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जांच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- महिला को प्रसवोत्तर नसबदी/ आई.यू.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- सुदूर गाँव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व क्रियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय पर उचित प्रबंधन किया जा सके।

- आकस्मिकता की स्थिति में ही घर में प्रसव सुरक्षित तरीके से कराया जाए। घर में होने वाले प्रसव में भी स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। प्रसव के समय आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जाए।
- डिलेवरी पाईट्स में पदस्थ एएनएम द्वारा एस.बी.ए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जिससे वह प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं का चिन्हांकन तथा प्रबंधन कर सके तथा अनावश्यक होने पर उच्च संस्थान पर रेफर कर सके।
- प्रसव के समय आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाएँ उपलब्ध करायेगें।
- टीकाकरण सारणी अनुसार जन्म के समय (बी.सी.जी., 0डोज पोलियो एवं हेपेटाईटिस) नवजात शिशु को टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे।
- यदि उप स्वास्थ्य के अधीन 8 से अधिक ग्राम है तो सोमवार/बुधवार/गुरुवार को भी ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के अन्तर्गत प्रावधानित सेवाएँ दी जाए।
- आर.सी.एच. पोर्टल में पंजीयन एवं अद्यतन फार्म में गर्भवती व प्रसव हो चुकी महिलाओं की जानकारी भरकर विकासखण्ड पर प्रेषित करना।

### डिलेवरी पाईट्स पर कार्यरत मेटरनिटी में पदस्थ ए.एन.एम.:-

- प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित प्रसव संपादित करना।
- गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जाँच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी. तथा पेट की जाँच) करना तथा आवश्यक प्रविष्टि एन.सी.पी. कार्ड में करना।
- न्यूनतम 20 प्रसव प्रतिमाह सी.एच.सी., सीमॉक पर तथा न्यूनतम 10 प्रसव प्रतिमाह सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. बीमॉक पर।
- गर्भवती महिला की तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जाँच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेकिंग सुनिश्चित करना।
- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवाएँ प्रदान करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, उल्टा/आडा/जुड़वा गर्भ आदि पाये जाने वाले तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्धता न होने की स्थिति में पाये जाने पर तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्धता ना होने की स्थिति में क्रियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की बड़ी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बड़ी गोली के सेवन हेतु सलाह देना। गंभीर रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं की ब्लड ट्रांसप्यूजन/इंजेक्शन आयरन सुक्रोज/ इन्ट्राम्सकूलर आयरन के माध्यम से प्रबंधन करने हेतु क्रियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना तथा इस हेतु पृथक से रिकार्ड संधारित किया जाए।
- प्रसव हेतु आनेवाली गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जाँच कर एडिमिशन शीट तैयार की जाए।
- निर्धारित प्राटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फिटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेस तथा आब्स्ट्रेट्रिक लेबर का प्रबंधन तथा रेफरल किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जाए जिससे महिला एवं नवजात शिशु में संप्लिस के कारण होने वाले काम्प्लीकेशन के प्रकरणों में कमी लाई जा सके।
- रेफरल हेतु निर्धारित स्लिप का उपयोग किया जाए एवं उचित फर्स्ट एड जैसे- आई.वी.लाईन, ऑक्सीटोसिन, इंजेक्शन मैगसल्स इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफरल की जाने वाली संस्था में कॉल सेन्टर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- सुदूर गाँव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व क्रियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय पर उचित प्रबंधन किया जा सके।
- प्रसूति कक्ष में आवश्यक औषधियाँ, सामग्री, उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एम.एन.एच.टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।
- आक्सीटोसिन, कारबोप्रोस्ट इंजेक्शन हेतु कोल्ड चैन मेनटेन करने के लिए लेबर रूम के फ्रिज में रखा जाए।
- प्रसव उपरान्त महिला को 1 घंटे तक प्रसूति कक्ष में रखकर प्रसव उपरान्त होने वाली जटिलताओं की पहचान तथा प्रबंधन सुनिश्चित करने के पश्चात् मेटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया जाए।

- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त उपरोक्त 1, 3, 7, 42 दिवस पर ए.एन.एम तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जाँच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- महिला को प्रसवोत्तर नसबंदी/आई.यू.सी.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की एक बड़ी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बड़ी गोली के सेवा हेतु सलाह देना।
- आकस्मिकता की स्थिति में ही घर में प्रसाव सुरक्षित तरीके से कराया जाए। घर में होने वाले प्रसव में भी स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। प्रसव के समय आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जाए।
- डिलेवरी पार्ट्स में पदस्थ एएनएम द्वारा एसबीए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जिससे वह प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं का चिन्हांकन तथा प्रबंधन कर सके तथा आवश्यक होने पर उच्च संस्था पर रेफर कर सके।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1,3,7, 42 दिवस पर एएनएम तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जाँच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- प्रसव के समय आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाएँ उपलब्ध करायेगें।

### के.एम.सी.वार्ड में पदस्थ एएनएम के दायित्व :-

- के.एम.सी.वार्ड का संचालन ।
- मदर्स वार्ड में भर्ती माताओं एवं शिशुओं की देखभाल ।
- फालोअप ओपीडी में सहायता ।

### आर.बी.एस.के. टीम में पदस्थ एएनएम के दायित्व :-

- महिला उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का पद मैदानी कार्यकर्ता का है। इनका मुख्यालय उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रहता है। इनके द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों का नियमित रूप से सतत् भ्रमण करते हुये सेक्टर पर कार्यरत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग हेतु नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराना तथा निर्धारित समय सारणी अनुसार विभिन्न स्तर पर आयोजित बैठकों में उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराना होता है।
- **स्क्रीनिंग:-** स्क्रीनिंग किये गये कुल बच्चों की संख्या प्रतिदिन 100 प्रति मोबाइल हेल्थ टीम। (2200/माह प्रति दल) वार्षिक (26400 प्रति दल) सुनिश्चित करना।
- **दस्तावेजीकरण:-** (प्रति दिन दवा वितरण, मांग पत्र एवं प्रदाय दवाओं का लेखा-जोखा संधारण एवं रिपोर्टिंग) माइक्रोप्लानिंग, रजिस्टर प्रारूप, जांच साधन सह रेफरल कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्क्रीनिंग में 10 प्रतिषत धनात्मक पाये गये बच्चों की संख्या। (220/प्रतिमाह) वार्षिक (2640 प्रति दल) के साथ-साथ स्वयं के द्वारा या विकासखण्ड स्तर पर उपचारित कराये गये बच्चों की संख्या (180/प्रति माह प्रति दल) वार्षिक (2160 प्रति दल) सुनिश्चित करना।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा जिला स्तर पर उपचारित कराये/रिफर किये गये बच्चों की संख्या (10 प्रति माह), वार्षिक न्यूनतम 120 बच्चे प्रति दल के साथ-साथ जिले से बाहर उपचार हेतु रिफर किये गये बच्चों की संख्या। (03 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 36 प्रति दल सुनिश्चित करना।
- मोबाइल हेल्थ टीम (ए.एन.एम.) द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच (40 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 480 प्रति दल के साथ-साथ एनआरसी में भर्ती हेतु भेजे गये बच्चों की संख्या (05 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 60 प्रति दल सुनिश्चित करना।